छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

:: प्रेस विज्ञप्ति :: दिनाँक 1/12/17

पत्र क्रमाँक 9496

विषय :– **हाईस्कूल, हायर सेकण्डरी एवं हायर सेकण्डरी व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2018 हेतु नियमित छात्र/छात्राओं के Online Entry के आधार पर परीक्षा आवेदन फार्म मण्डल वेबसाइट www.cgbse.nic.in से प्रिन्ट कर जमा करने बाबत् ।**

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा संचालित हाईस्कूल, हायर सेकण्डरी एवं हायर सेकण्डरी व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2018 हेतु नियमित छात्र/छात्राओं के **Online** प्रवेश सूची **Entry** के आधार पर छात्र/छात्राओं के **परीक्षा शुल्क Online** जमा करने की अन्तिम तिथि दिनाँक 30.11.2017 निर्धारित की गई थी, जिसे संशोधित कर तिथि 05.12.2017 तक वृद्धि की जाती है ।

उपरोक्तानुसार सम्बंधित संस्था प्राचार्यो द्वारा दिनाँक 05.12.2017 तक नियमित छात्र/छात्राओं के परीक्षा शुल्क जमा कर आवेदन **फार्म** मण्डल वेबसाइट **www.cgbse.nic.in** से **Online** प्रिन्ट निकालकर परीक्षा आवेदन फार्म के साथ पात्रता सम्बंधी अभिलेख (दस्तावेज) तथा **Online** जमा की गई शुल्क की पावती नामिनल रोल, विषयवार संख्या पत्रक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छूट प्रमाण पत्र सूची एवं अन्य प्रपत्र निकालकर दिनाँक 11.12.2017 तक सम्बंधित संभाग के संभागीय कार्यालय/मण्डल मुख्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ।

(सचिव महोदय की आज्ञा से)

01/12/2017
उपसचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर

प्रति,

संपादक महोदय,
दैनिक समाचार पत्र
.... ,
छत्तीसगढ़ ।

कृपया प्रदेश स्तर पर प्रकाशित होने वाले अपने मुख्य समाचार पत्रों में निः शुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें ।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

क्रमाँक/9415/परीक्षा/2017 रायपुर दिनाँक : 20/11/2017

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाएँ,
छत्तीसगढ़

विषय :- हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा वर्ष 2018 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले नियमित परीक्षार्थियों के लिये नॉमीनल रोल एवं न्यूमेरिकल्स रिटर्न जमा करने बाबत् ।

आपकी संस्था में मण्डल की वर्ष 2018 की उक्त परीक्षा में नियमित परीक्षार्थियों के लिये आपके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र मुद्रण कर संलग्न दस्तावेज के साथ, नॉमिनल रोल एवं न्यूमेरिकल रिटर्न निर्धारित तिथि तक जमा किया जाना अनिवार्य है ।

(एक) अति महत्वपूर्ण निर्देश

अ. नियमित छात्रों के हाईस्कूल परीक्षा के आवेदन पत्रों के साथ कक्षा 08 वीं एवं कक्षा 09 वीं तथा हायर सेकण्डरी परीक्षा के आवेदन पत्रों के साथ कक्षा 10 वीं एवं कक्षा 11 वीं के अँकसूची की आपके द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियाँ लगाना अनिवार्य है । गेप वाले छात्रों से निर्देशानुसार गेप प्रमाण पत्रों तथा ग्राह्यता सम्बंधी प्रकरणों में मण्डल द्वारा ग्राह्यता प्रदान करने के पत्र की प्रतिलिपि भी संलग्न किया जाना आवश्यक है ।

ब. यदि किसी छात्र/पिता/माता का नाम तथा फोटो काटकर किसी अन्य छात्र का नाम/फोटो लगाया जाता है तो वह मान्य नहीं होगा, ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे ।

स. मण्डल द्वारा अध्ययनरत् छात्रों के परीक्षा फार्म भेजने के बाद यदि कोई छात्र/छात्रा शाला छोड़ देता/देती है अथवा उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसे छात्र के आवेदन पर छात्र/छात्रा द्वारा शाला छोड़ दी अथवा छात्र/छात्रा का प्रवेश निरस्त अंकित कर आवेदन पत्र मण्डल को भेजना अनिवार्य है।

द. यदि प्रवेश सूची आनलाईन भेजने के उपरान्त विशेष/विषम परिस्थिति में मण्डल की अनुमति से किसी छात्र/छात्रा को संस्था में प्रवेश दिया गया हो, तो ऐसे छात्र/छात्रा के आवेदन पत्र के साथ अनुमति पत्र की छायाप्रति लगायें ।

ई. नामीनल रोल एवं परीक्षा फार्म में सरल क्रमाँक अंकित करना अनिवार्य है । आवेदन पत्र, प्रवेश सूची के क्रम में ही प्रस्तुत किये जायें । अपूर्ण या गलत क्रम में प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार/प्राप्त नहीं किये जावेंगे ।

क. मण्डल विनियम क्रमाँक 128 के अनुसार आवेदन पत्रों पर नामाँकन क्रमाँक अंकित करना अनिवार्य है । नामाँकन क्रमाँक अंकित न होने की दशा में छात्र परीक्षा में बैठने के लिये पात्र नहीं होंगे ।

ख. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र के निर्देशानुसार आवेदन पत्र के साथ ही भेजे जावें । प्रमाण पत्रों के अभाव में छात्रों से पूर्ण शुल्क प्राप्त कर भेजी जावें ।

ग. प्राचार्य द्वारा आवेदन पत्र प्रेषित करते समय इस आशय का घोषणा भी भरकर दिया जाना है कि उनके द्वारा मण्डल के दिशा–निर्देश के परिपालन में केवल पात्र परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र ही प्रेषित किये गये हैं ।

उक्तानुसार पूर्तियाँ कर आवेदन पत्र मण्डल में भेजने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बंधित संस्था के प्राचार्य का है । आवेदन पत्र निर्देशानुसार प्राप्त नहीं होने पर यदि आवेदन पत्र निरस्त किये जाते हैं तो उसके लिये सम्बंधित प्राचार्य जिम्मेदार होंगे ।

(दो) परीक्षा आवेदन पत्र

मण्डल द्वारा वर्ष 2018 की हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के नियमित परीक्षार्थियों के आवेदन पत्रों के प्रारूप तथा भरवाने की प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है :–

1. हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के आवेदन पत्रों को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्रिन्ट कर क्रमानुसार जमाकर रखें ।

अन्य निर्देश :-

1. मण्डल द्वारा जारी ऑनलाईन प्रवेश सूची से परीक्षा आवेदन पत्र मुद्रण कर छात्र/छात्रा का नाम/पिता का नाम एवं समस्त छात्र सम्बंधी जानकारी अवलोकन कर हस्ताक्षर कराया जाना है ।
2. प्रविष्टियों के प्रमाणीकरण हेतु निर्धारित स्थान पर छात्र के हस्ताक्षर तथा प्राचार्य के हस्ताक्षर उपरान्त पद मुद्रा अंकित की जावे । हस्ताक्षर की मुद्रा का उपयोग कदापि न करें । प्रमाणीकरण के अभाव में आवेदन पत्र मान्य करना सम्भव नहीं होगा।
3. आवेदन पत्रों के साथ संलग्न अँकसूची जाली/फर्जी पायी जाने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे। इसके पश्चात भी यदि परीक्षा में छात्र सम्मिलित हो जाते हैं तो उनकी परीक्षा निरस्त कर दी जावेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बंधित संस्था के प्राचार्य का होगा ।

4. नियमित छात्र/छात्राओं के फार्म में दी गई जानकारी तथा परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये पात्रता सम्बंधी डाक्यूमेन्टस (अँकसूचियों आदि की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ) के आधार पर जाँच की जावेगी । आवेदन पत्रों में पायी गई त्रुटियों की सूचना आपको दी जावेगी, तत्पश्चात् आपके द्वारा सम्बधित छात्र/छात्रा को उसके आवेदन पत्र में पायी गयी त्रुटि की लिखित सूचना दी जावे तथा पत्र की प्रति सम्बंधित संभागीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से भेजी जाना है यदि किसी छात्र द्वारा यह शिकायत की जाती है कि उसके आवेदन पत्र में पाई गई त्रुटि की जानकारी प्राप्त नहीं हुई तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बंधित प्राचार्य का होगा ।

(तीन) न्यूमेरिकल रिटर्न्स (विषयवार संख्या पत्रक)

विषयवार संख्या पत्रक (न्यूमेरिकल रिटर्न्स) मण्डल की ऑनलाईन पोर्टल से मुद्रण करें। न्यूमेरिकल रिटर्न्स की 02 प्रतियाँ विधिवत् पूर्ति करके एक प्रति आवेदन पत्रों के साथ संभागीय कार्यालय को भिजवायें । दूसरी प्रति सीधे मुख्यालय को पंजीकृत डाक से उपसचिव (गोपनीय), छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल को भिजवायें । गतवर्ष यह देखने में आया है कि मुख्यालय की प्रति संस्थाओं द्वारा नहीं भेजी गई थी । इसका विशेष ध्यान रखा जावे तथा अनिवार्य रूप से एक प्रति मुख्यालय में उपसचिव गोपनीय के नाम से भेजी जावे ।

1. विषय व माध्यमवार छात्रों की गणना कर उनकी संख्या सम्बंधित विषय के कॉलम में सावधानीपूर्वक मिलान करें ।
2. केवल वे ही विषय एवं माध्यम रहें, जिसमें संस्था को मान्यता प्राप्त है । इसके विपरीत विषय या माध्यम मान्य नहीं होगा। हिन्दी/अँग्रेजी/उर्दू माध्यम के छात्रों की जानकारी पृथक – पृथक निर्धारित माध्यम के कॉलम में भरें ।
3. विषयवार संख्या पत्रक का मिलान तथा परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित विषयों से अनिवार्य रूप से कर लेवें, ताकि कोई भी विषय छूट न जाय और न ही सम्बंधित छात्रों की संख्या में कोई त्रुटि रहे ।
4. कृपया ध्यान रखें कि न्यूमेरिकल रिटर्न के अनुसार ही आपकी शाला के छात्रों के लिये प्रश्न पत्र भेजे जावेंगे । इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि (विषय, छात्र संख्या या माध्यम से सम्बंधित) होने से उत्पन्न समस्या की जिम्मेदारी संस्था प्रमुख की होगी । अतः इनमें आंकड़े अत्यन्त सावधानी पूर्वक भरें ।

(चार) शुल्क

1. नियमित छात्रों की शुल्क नियमानुसार रहेगी ।
   1. परीक्षा शुल्क रूपये 200/– (प्रति छात्र)
   2. अँकसूची शुल्क रूपये 70/– (प्रति छात्र)
   3. प्रायोगिक शुल्क रूपये 60/– प्रति प्रायोगिक विषय (प्रति छात्र)
   4. नामाँकन शुल्क रूपये 60/– (प्रति छात्र)
   5. पर्यावरण प्रायोगिक शुल्क रूपये 60/– (प्रति छात्र)
   6. हाईस्कूल में केवल विज्ञान प्रायोगिक शुल्क रूपये 60/– (प्रति छात्र) एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम के प्रायोगिक शुल्क 60/– (प्रति छात्र)

विज्ञान समूह में पूर्ण विषयों के साथ गणित अथवा जीव विज्ञान तथा कला एवं वाणिज्य समूह में पात्रतानुसार व्यावसायिक गणित विषय अतिरिक्त विषय के रूप में लेने की पात्रता है । ऐसे छात्रों से अतिरिक्त विषय का शुल्क रूपये 80/– अतिरिक्त लिया जाना है ।

आवेदन पत्र का मूल्य रूपये 60/– है, आवेदन पत्र का मूल्य पूर्व में प्राप्त हुआ है, उन्हीं छात्रों के लिये आनलाईन आवेदन पत्र प्रदाय किये गये है । आवेदन पत्र शुल्क से किसी को छूट नहीं है । नियमित छात्रों से अग्रेषण शुल्क नहीं लिया जाना है ।

4. नियमित छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र जमा करने की **अन्तिम तिथि** : 30/11/2017 है । नियमित छात्र/छात्रों की शुल्क का बैंक चालान/एन0 ई0 एफ0 डी0 एवं आवेदन पत्र, मण्डल के संभागीय कार्यालय/मण्डल मुख्यालय रायपुर में **दिनाँक** : 05/12/2017 को अनिवार्य रूप से जमा करवाये जावें । इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र अमान्य किये जावेंगे । अतः तिथियों का विशेष ध्यान रखा जावें । **दिनाँक** : 05/12/2017 के पूर्व भी आवेदन पत्र पूर्ति उपरान्त सम्बंधित संभागीय कार्यालय/मण्डल मुख्यालय में जमा करवाये जा सकते हैं । इस हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय नहीं दिया जावेगा ।

5. शुल्क रियायतें निम्नानुसार है :–

1. नेत्रहीन, मूक बधिर, स्पास्टिक सेरेबिल पॉलिसी (मानसिक रूप से निःशक्त) से पीड़ित परीक्षार्थी	:	सम्पूर्ण शुल्क से छूट
2. मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के अवकाश प्राप्त शिक्षकों एवं राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के पुत्र/पुत्रियाँ परीक्षार्थी	:	केवल 70/– रू. (अँकसूची शुल्क) देय होगा, यदि परीक्षा में बैठने का प्रथम अवसर हो तो ।

3. मण्डल के अधिकारी/कर्मचारी के पुत्र/पुत्रियाँ परीक्षार्थी	:	तदैव
4. मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं की पुत्रियाँ परीक्षार्थिनी	:	अर्द्ध परीक्षा शुल्क छूट, यदि परीक्षा में बैठने का प्रथम अवसर हो तो ।
5. महिला परीक्षार्थिनी जिनके अभिभावकों की सभी स्त्रोंतो से वार्षिक आय 200000/– रूपये से अधिक नहीं है ।	:	तदैव
6. छत्तीसगढ़ के निवासी अनु0 जाति, जनजाति परीक्षार्थी जिनके अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रूपये 1,50,000 से 2,00,000 अधिक नहीं है ।		1. केवल प्रथम अवसर के लिये परीक्षा शुल्क एवं अँकसूची शुल्क से छूट रूपये 60/–प्रति प्रायोगिक विषय देय होगी आवेदन पत्र के मूल्य में छूट नहीं है। 2. सम्बंधित जिले में शासन द्वारा अनु0 जाति/ जनजाति की निर्धारित की गई जातियों के परीक्षार्थियों के लिये यह छूट रहेगी। जातियों की सूची निर्धारित प्रपत्र के प्रारूप के पीछे मुद्रित है । 3. निर्धारित भेजे गये प्रपत्र अनुसार पूर्ण प्रविष्टियों सह तथा शासन द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है, मूल जाति तथा आय प्रमाण पत्र की प्राचार्य से प्रमाणित छायाप्रति प्रपत्र के साथ संलग्न करें। अपूर्ण अथवा अनाधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र मान्य नहीं किये जावेंगे। प्राचार्य अपने स्तर पर इनकी पड़ताल कर लेवें अपूर्ण अथवा अमान्य प्रमाण वाले छात्रों से शुल्क प्राप्त कर भेजें ।

शुल्क रियायत के पात्र परीक्षार्थी के प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य है । आय का प्रमाण पत्र पिता/अभिभावक जिस कार्यालय में कार्यरत् हैं, उनके मुख्य अधिकारी का होना आवश्यक है । अन्य प्रकरण में रेवेन्यू अधिकारी का प्रमाणीकरण रहे । प्रमाण पत्रों पर तिथि एवं पद मुद्रा अंकित होना भी आवश्यक है। प्रमाण पत्रों में यह प्रमाणीकरण होना भी आवश्यक है कि वर्ष 2018 की परीक्षा में बैठने का परीक्षार्थी/परीक्षार्थिनी का प्रथम अवसर है और आय का स्त्रोत नहीं है । अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी को शुल्क रियायतों की पात्रता नहीं है ।

6. ऑनलाईन पेमेन्ट की पावती की छायाप्रति संलग्न करें । सचिव, छ0 ग0 मा0 शिक्षा मण्डल .... (रायपुर/बिलासपुर/अम्बिकापुर/राजनांदगाँव/जगदलपुर (.......................................) को ही देय बनवायें ।
7. आवेदन पत्र पर छात्र से प्राप्त शुल्क तथा आपके द्वारा भेजी गई पूर्ण शुल्क, बैंक चालान/एन0 ई0 एफ0 डी0 दिनॉक आदि की प्रविष्टी अनिवार्य रूप से की जाय ।
8. प्रत्येक बैंक चालान/एन0 ई0 एफ0 डी0 के पीछे प्राचार्य द्वारा अपनी शाला के नाम की रबर मुद्रा अनिवार्य रूप से लगवायी जाय ।

(पाँच) अनुसूचित जाति/जनजाति के शुल्क का विवरण पत्रक

यह विवरण पत्रक मण्डल द्वारा भेजे गये प्रपत्र पर दो – दो प्रतियों में परीक्षावार अलग – अलग बनाये । दोनों प्रतियाँ मण्डल के सम्बंधित कार्यालय में भेजें और एक प्रति सादे कागज पर बनाकर अपनी शाला के अभिलेख में रखे । इस विवरण पत्रक को तैयार करते समय निम्न अनुदेशों का अनिवार्य रूप से पालन करें :–

1. इस विवरण पत्रक में केवल उन्हीं परीक्षार्थियों के नाम अंकित किये जाये, जिन्हें अनुसूचित जाति/जनजाति (प्रसारित सूची में दर्शाये गये जनजातियों में से) के होने के कारण शासन के निर्देशानुसार परीक्षा एवं अँकसूची शुल्क से छूट की पात्रता आती है ।
2. सम्बंधित जिले में शासन द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति की निर्धारित की गई जातियों के परीक्षार्थियों को छूट रहेगी।
3. मण्डल की पूर्व परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण के लिये यह छूट नहीं है । उनसे सम्पूर्ण शुल्क प्राप्त किया जावे और उनके नाम इस स्टेटमेन्ट में प्रविष्टि नहीं किये जावे ।
4. प्रायोगिक विषय का शुल्क रूपये 60/– प्रति विषय लेना है । उसमें किसी भी छात्र/छात्रा को छूट नहीं है ।
5. अनुसूचित जाति/जनजाति.परीक्षार्थियों के लिये पृथक – पृथक प्रपत्र तैयार करावें । इन्हें परस्पर सम्मिलित नहीं किया जावें । प्रपत्र पर सरल क्रमाँक (सीरियल नम्बर) पृथक किया जावे ।
6. अनु0 जाति/जनजाति परीक्षार्थियों के निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त हुये जाति प्रमाण पत्र, विवरण पत्रक के साथ सरल क्रमाँक में दर्ज परीक्षार्थियों के नाम के अनुसार संलग्न करें और उन्हें भी (प्रमाण पत्र) वही सरल क्रमाँक दें ।

7. अनुसूचित जाति / जनजाति के शुल्क छूट के जाति / आय प्रमाण पत्र सम्बंधित परीक्षार्थी के परीक्षा आवेदन पत्र के साथ कदापि संलग्न न करें ।

8. जाति प्रमाण पत्रों के प्रपत्र छात्रों से प्राप्त करते समय इसका विशेष ध्यान रखे कि प्रपत्र में जाति का, धर्म का एवं परीक्षार्थियों के व उनके परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रूपये 1,50,000 – 2,00,000 से अधिक नहीं है। का उल्लेख स्पष्ट हो, अनुसूचित जाति अथवा जनजाति का उल्लेख हो तथा प्रपत्र पर अधिकृत किये गये अधिकारी का प्रमाणीकरण हो । सूची से यह देख लिया जाय कि उक्त जाति उस.जिले की मान्य जातियों में से है । मूल जाति तथा आय प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं किया जाना है, अपितु जाति तथा प्रमाण पत्र की आपके द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाना है ।

9. प्रपत्र का प्रारूप संलग्न भेजा जा रहा है । उसी के अनुसार प्रपत्र प्राप्त होना आवश्यक है । प्रारूप के अनुसार प्रपत्र न होने पर छात्रों से पूर्ण शुल्क प्राप्त कर भेजें ।

10. यदि इस विवरण पत्रक की प्रतियाँ की और आवश्यक हो, तो कृपया समान साईज के कागज पर आवश्यक कालम बनाकर विवरण पत्रक तैयार कर लें ।

11. इस विवरण पत्रक के प्रत्येक पृष्ठ पर योग कैरी ओव्हर करके महायोग दर्शायें ।

12. इस विवरण पत्रक को डाट पेन से बनाये अथवा टाइप करें, ताकि वांछित प्रविष्टियाँ स्पष्ट व सुवाच्य रहें ।

(छः) कोडिफिकेशन

परीक्षा आवेदन पत्र में परीक्षा संभाग, जिले ग्रुप, विषयों आदि के सम्मुख निर्धारित स्थान पर उनके कोड नम्बर अंकित करें । यह कार्य प्राचार्य के कार्यालय में सम्पन्न करें । कोड नम्बरों की शुद्धता व सही होने के सम्बंध में पूर्ण सावधानी बरती जाय ।

(सात) नामाँकन (एनरोलमेन्ट)

मण्डल रेग्युलेशन 128 के अनुसार प्रत्येक परीक्षाथ का नामांकन होना अनिवार्य है । प्रत्येक परीक्षा आवेदन पत्र में परीक्षार्थी का नामांकन क्रमाँक निर्धारित स्थान पर अवश्य अंकित करें । नामांकन क्रमाँक के बिना आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जावेगा, जिसका उत्तरदायित्व संस्था प्राचार्य का होगा ।

(आठ) प्रश्न पत्रों के उत्तर लिखने की भाषा और प्रश्न पत्र का माध्यम

1. प्रश्न पत्र केवल हिन्दी, अँग्रेजी, उर्दू एवं मराठी माध्यमों में लिखने की अनुमति रहेगी ।

(नौ) सामान्य

(1) परीक्षा आवेदन फार्म और अन्य आवश्यक सहपत्र इसी ज्ञापन के सन्दर्भ में संस्था की ओर से पत्र के साथ प्राप्त होना चाहिये ।

(2) मान्यता नहीं है ऐसे विषयों में तथा अनियमित रूप से दर्ज किये गये छात्रों के प्रवेश के प्रकरण मान्य नहीं किये जावेंगे ।

(3) नियमित छात्रों की परीक्षा शुल्क विलम्ब से भेजने पर प्रतिदिन, प्रति परीक्षा 1000 / – रूपये पेनाल्टी देय होगी ।

(4) अ – वर्ष 2016 या 2017 के उत्तीर्ण छात्र अंक सुधार योजना के अन्तर्गत पुनः हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं । अँक सुधार में विषय परिवर्तन मान्य नहीं है । वर्ष 2016 में परीक्षा उत्तीर्ण छात्र यदि 2017 में सम्मिलित हो चुके हैं तो उन्हें वर्ष 2018 में पुनः सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी।अँक सुधार वाले छात्रों से पूर्व की अँकसूची की प्रमाणित प्रति परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है । अँक सुधार हेतु परीक्षा में पुनः सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के प्राप्ताँक में 01 अँक की भी वृद्धि होने अथवा श्रेणी सुधार होने पर नवीन अँकसूची प्रदाय की जावेगी ।

(5) परीक्षा फार्म में एक बार लिखा गया विषय / माध्यम नहीं बदला जा सकेगा । केवल विशेष परिस्थितियों में शुल्क 140 / – प्रति विषय के साथ प्रार्थना पत्र प्राचार्य की अनुशंसा सह सम्बंधित मुख्यालय / संभागीय कार्यालय में जमा होने पर विषय / माध्यम परिवर्तन दिनाँक : 30.11.2017 तक किया जा सकेगा ।

(6) नेत्रहीन, मूक बधिर तथा स्पास्टिक सेरेबिल पालसी से पीड़ित छात्रों को हायर सेकण्डरी परीक्षा में विशिष्ट भाषा में छूट रहेगी ।

(7) इन छात्रों को केवल एक बार हिन्दी सामान्य अथवा अँग्रेजी सामान्य लेने की सुविधा रहेगी ।

(8) निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क प्राप्त होने पर प्राप्त अधिक शुल्क न तो अन्य मदों में समायोजित की जावेगी और न ही वापिस की जावेगी ।

(9) परीक्षा उपरान्त नियमित छात्रों की अंकसूचियाँ सम्बंधित संस्थाओं के प्राचार्यो की ओर वितरण हेतु भेजी जावेगी ।

(10) इस ज्ञाप एवं इसके साथ संलग्न प्राप्त हुये प्रपत्रों की सूचना कृपया संलग्न पत्र पर तुरन्त भेजने का कष्ट करें । सहपत्र संलग्न सूची के अनुसार ।

सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर